राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः डीसी/एन.डी.पी.एस./ए 2/2015/ 435 दिनांकः 30/7/2015

आदेश

माननीय चिकित्सा मन्त्री, महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के दुरूपयोग को रोकने के लिये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमों के तहत राज्य में औषधि विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्रभावी कार्यवाही करने हेतु विभागीय स्तर पर प्रत्येक पखवाड़े की रिपोर्ट पर समीक्षा की जाकर आवश्यक कार्यदाही किये जाने के उद्देश्य से इस कार्य हेतु श्री संजय सिंघल, सहायक औषधि नियंत्रक, मुख्यालय, जयपुर (मो0न0 9829920206, कार्यालय दूरभाष न0 0141 2221864 ई मेल singhal.sanjay.2010@gmail.com) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

राज्य के सभी सहायक औषधि नियंत्रकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में नियुक्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों के सहयोग से उनके आवंटित क्षेत्र में स्थित औषधि विक्रेताओं के द्वारा सप्लाई होने वाली उक्त औषधियों के क्रय विक्रय की जानकारी माह के प्रत्येक पखवाडे में 01 व 16 तारीख को विभाग की ई मेल drugcontrolraj@gmail.com पर प्रथम पाक्षिक (01 से 15 तारीख) व द्वितीय पाक्षिक (16 से 30 तारीख) अलग अलग पखवाडों में संकलन कर भिजवाया जाना प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें एवं हार्ड कॉपी अलग से भिजवायें। निर्देशों की अनुपालना नहीं होने पर राज्य सरकार को अवगत कराया जावेगा।

औषधि नियंत्रक (प्रथम)
राजस्थान,जयपुर

क्रमाकः डीसी/एन.डी.पी.एस./ए 2/2015/435 दिनाक 30/7/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(1) विशिष्ठ सहायक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री, राज0 जयपुर।
(2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
(3) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग, जयपुर।
(4) औषधि नियंत्रक, (द्वितीय) राजस्थान, जयपुर।
(5) श्री संजय सिंघल, नोडल अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, मुख्यालय, जयपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार विवरण प्राप्त होने पर प्रथम पाक्षिक (01से 15 तारीख) व द्वितीय पाक्षिक (16 से 30 तारीख) अलग अलग पखवाडों में क्रमशः 10 व 25 तारीख को ईकजाई करवाई जाकर रिपोर्ट अपनी टिप्पणी सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
(6) समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान को पालनार्थ भेजकर लेख है कि औषधियों के विवरण के संकलन के दौरान औषधियों के दुरूपयोग नशे के रूप में/अनाधिकृत रूप से विक्रय की जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करें एवं मुख्यालय को भी अवगत करावें।
(7) समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि सम्बन्धित सहायक औषधि नियंत्रक के निर्देशानुसार कार्य करें एवं औषधियों के विवरण के संकलन के दौरान औषधियों के दुरूपयोग नशे के रूप में/ अनाधिकृत रूप से विक्रय की जानकारी प्राप्त होने पर सम्बन्धित सहायक औषधि नियंत्रक को अवगत करावें।
(8) सी डेस्क को प्रेषित कर लेख है कि इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना को ईकजाई एवं संधारित करें।
(9) प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें एवं आदेश को सभी सम्बन्धितों को ई मेल भी करें।
(10) रक्षित पत्रावली।

औषधि नियंत्रक (प्रथम)
राजस्थान,जयपुर